संख्या- 41 / 912 /चार-2015-15(बजट)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2015

विषयः- टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान , लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 66.66 लाख की मॉग पुनर्विनियोग के माध्यम से ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3229/सं0नि-6(53)/2012-13, दिनांक 02 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 14/865/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 10 मार्च,2015 द्वारा स्वीकृत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 66.66 लाख (रूपये छांछट लाख छांछट हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-14/865/चार-2015-15(बजट)/2012, दिनांक 10 मार्च,2015 में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

(2) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत -04- कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-261 /दस-2015,दिनांक 23 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 41 / 912 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति 800 - अन्य व्यय 03- प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण 24- वृहत निर्माण	27790	6666	6666	6666	21124
	27790	6666	6666	6666	21124

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति 800- अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0102- राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण (के.60/रा; 40) 24-वृहद निर्माण कार्य	10000	16666	6666	6666	16666
योग	10000	16666	6666	6666	16666

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।
संस्कृति विभाग

संख्या- **आर-ई-475 (1)/ई-7-1579/दस-2015**
दिनांक **23 - 3 - 2015**
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारीद) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 41 / 912 (1)/चार-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in